

मैसर्स ओ.एन.जी.सी..लिमिटेड

बनाम

एसोसियेशन ऑफ नैचुरल गैस कन्ज्यूमिंग इंडस्ट्रीज एवं अन्य

12 अप्रैल, 2004

[एस. राजेंद्र बाबू, डॉ. ए.आर. लक्ष्मणन और

जी.पी. माथुर, न्यायाधिपतिगण]

प्राकृतिक गैस - ओएनजीसी द्वारा मूल्य निर्धारण - न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित - अंतर राशि पर ब्याज - मूल राशि के बकाया की गणना पर विवाद करने वाली दो दवा निर्माता कंपनियों-अभिनिर्धारित, आवेदकों द्वारा की गई मांगों पर ओ. एन. जी. सी. द्वारा प्रभावी ढंग से विचार नहीं किया गया है - उनके द्वारा भुगतान किया जाने वाला ब्याज निर्धारित दर पर देय होगा, लेकिन ब्याज की सरल दर पर और जो चक्रवृद्धि योग्य नहीं होगा - ओएनजीसी आवेदकों द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं की भी जांच करेगा - ब्याज ।

अपीलार्थी- ओएनजीसी ने गैस की कीमत में वृद्धि की, जिससे उच्च न्यायालय के समक्ष कई कई रिट याचिकाएं दायर की गईं। मुकदमेबाजी लंबित होने के कारण, गैस की कीमत को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों द्वारा विनियमित किया गया था। अंततः ओ. एन. जी. सी. द्वारा निर्धारित मूल्य को उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। अंतर राशि के देर से भुगतान पर ब्याज के लिए ओएनजीसी के दावे के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि ब्याज का भुगतान अनुबंध में निर्दिष्ट दर और तरीके से किया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि दो दवा निर्माता कंपनियों, 'एससीएस' और 'एएल' के मामले को अलग से देखा जाएगा। दोनों

कंपनियों ने ओएनजीसी द्वारा उठाई गई मांगों पर विवाद उठाते हुये वर्तमान अंतरिम प्रार्थना-पत्रों को प्रस्तुत किया।

आवेदकों की ओर से दलील दी गई कि ओएनजीसी ने मूल राशि की बकाया राशि की गणना करते समय न्यायालय के फैसले के विपरीत कीमत की उंची दर लागू की। आवेदक 'ए.एल.' के लिए यह तर्क दिया गया था कि कम उठाव के कारण प्राप्त बकाया की गणना ओ. एन. जी. सी. द्वारा वास्तविक आपूर्ति के लिए दर का उपयोग करके की गई थी जिसमें कम उठाव मात्रा पर बिक्री कर और रॉयल्टी शामिल थी; ओ. एन. जी. सी. अनुबंधित मात्रा को 60,000 घन मीटर से घटाकर 50,000 घन मीटर प्रति दिन करने के उनके अनुरोध पर विचार करने में विफल रही, इसलिए, ओएनजीसी को इस संबंध में मांग की पुनः गणना करनी चाहिए, और अनुबंध में अप्रत्याशित घटना खंड के अनुसार, ओएनजीसी को हड़ताल और भट्टी ढहने की अवधि के दौरान वास्तविक उपयोग मात्रा पर बिल देना आवश्यक था।

अंतरिम प्रार्थना-पत्रों को स्थित करने के हुये न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. किसी भी मामले में ओएनजीसी ने आवेदकों द्वारा की गई मांगों पर प्रभावी ढंग से विचार नहीं किया है, और उनके द्वारा भुगतान किये गये धन के लिये उचित समायोजन किये बिना उनके कारण बकाया राशि का निर्धारण किया है। इन दोनों कंपनियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन को उठाये गये बिंदुओं पर उचित विचार किए बिना सामान्य नौकरशाही शैली में निपटाया गया है। ब्याज के भुगतान और अन्य पहलुओं के संबंध में उनके द्वारा उठाये गये बिंदु पर्याप्त प्रकृति के हैं और उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ओएनजीसी द्वारा इन पर उचित रूप से विचार करने की आवश्यकता है। [5-सी-ई]

2. जहाँ तक ब्याज का संबंध है, हालाँकि इस न्यायालय ने दिनांक 26/7/2001 को दिये गये आदेश में कहा था कि ब्याज अनुबंध के खंड 5 के संदर्भ में देय है, लेकिन वह मामले में उत्पन्न होने वाली सामान्य परिस्थितियों में था। दोनों आवेदक दवा निर्माण कंपनियाँ हैं और जिन कीमतों पर वे अपना सामान बेचते हैं, वे दवा मूल्य नियंत्रण आदेशों द्वारा तय की जाती है, जिसमें उस कीमत को ध्यान में रखा गया था जिस पर गैस की आपूर्ति की गई थी, जो अब इस न्यायालय के आदेशों के कारण बढ़ गई। इसलिए, परिस्थितियों की समग्रता में, इन दोनों कंपनियों द्वारा अनुबंध के खंड 5 में निर्धारित दर पर ब्याज देय होगा, लेकिन ब्याज की साधारण दर पर और समझौता योग्य नहीं होगा। ओ. एन. जी. सी. उनके द्वारा की गई मांगों में अपने दावे को उस हद तक कम कर देगी। [5-ई-एच]

3. 'ए.एल.' के मामले में ओ. एन. जी. सी. इस प्रकार उठाए गए बिंदुओं की भी जांच करेगी-(i) अल्पकालीन उठाव के लिए नुकसान पर रॉयल्टी और बिक्री कर का अपवर्जन; (ii) आपूर्ति को 60,000 घन मीटर से घटाकर 50,000 घन मीटर प्रति दिन करने की मांग करने वाले उनके पत्र का प्रभाव; और (iii) अप्रत्याशित घटना खंड के आधार पर किया गया दावा; और उसके बाद ब्याज सहित उनके द्वारा देय बकाया राशि का पुनर्निर्धारण करना। [6-ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: आई.ए. संख्या 355-365/2002।

में

आई.ए. नं. 190-200

में

सिविल अपील संख्या 8530-40 1983/1983

गुजरात उच्च न्यायालय के एस.सी.ए. संख्या 883, 913/79, 1897/81, 2316, 2384, 2445, 2470, 2977, 4194, 4520, और 2542/1982 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 30.7.83 से।

मय (आई.ए. नंबर 333-343/2002 अंतर्गत आई.ए. संख्या 190-200 में अंतर्गत सी.ए. संख्या 8530-40/1983 में।

राजू रामचंद्रन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, महेंद्र आनंद, ए. के. गांगुली, आर. एफ. नरीमन, पी. कृष्णमूर्ति, कॉलिन गोंजालवास, राजन नारायण, सुश्री पूजा शर्मा, सिद्धार्थ दत्ता, सुश्री लौलीन भुल्लर, के. आर. शशिप्रभु, शाहिद रिजवी, मनीष गर्ग, सुश्री जी. इंदिरा, एम.के.एस. मेनन, राकेश के. शर्मा, सुश्री माणिक करंजावाला, अरुण के. शर्मा, सुश्री वंदना शर्मा, वी. पाल सिंह, सुश्री प्रतिभा जैन, सुशील कुमार जैन, विनय गर्ग, श्री नारायण, संदीप नारायण, सुश्री अंजलि झा, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, ए. देब कुमार, सुदर्शन मेनन, बी.एस. शर्मा, के.वी.मोहन, पी.एच. पारेख, सुश्री रंजीता रोहतगी, प्रमोद बी. अग्रवाल, सुश्री अपर्णा भट और सुश्री पी. रमेश कुमार. उपस्थिति पक्षकारो के लिये।

न्यायालय का निर्णय राजेन्द्र बाबू, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

गैस की कीमत में वृद्धि को चुनौती देते हुये गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था और एक अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने ओएनजीसी को Rs.504/- प्रति 1000 एम. 3 की पुरानी दर पर गैस की आपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसके बाद, 29.10.1982 को किए गए एक अन्य आदेश द्वारा, कीमत बढ़ाकर रुपये 1000 प्रति 1000 एम 3 कर दी गई। 30.7.1983 को किए गए एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और उस कीमत को अपास्त कर दिया जो ओएनजीसी द्वारा निर्धारित की गई थी। फिटनेस

के प्रमाण पत्र के अनुसार, इस न्यायालय में अपील दायर की गई और इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को जारी रखा और इस तरह अपील में प्रतिवादियों को गैस प्राप्त हुई जिसके लिए उन्होंने रुपये 1000 प्रति 1000 एम 3 की कीमत चुकाई।

इस न्यायालय ने दिनांक 4.5.1990 को अपने आदेश से ओएनजीसी द्वारा तय की गई कीमतों को यथावत रखा और अपील की अनुमति दी। अपील स्वीकार होने के बाद, ओ. एन. जी. सी. आपूर्ति की गई गैस की कीमत में अंतर प्राप्त करने की हकदार बन गई। ओएनजीसी, में उक्त मूलधन राशि के अतिरिक्त, अनुबंध के खंड 5.02 के संदर्भ में उस पर ब्याज की भी मांग की गई। जब उनकी मांगों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया, तो आई. ए. सं. 1-11 और 23-33 इस न्यायालय में दायर किए गए थे और इस न्यायालय ने 6.4.1993 को किए गए एक आदेश द्वारा, प्रतिवादीगणों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने के आदेश पारित किए। पहली श्रेणी वह है जहां में मूल राशि को किशतों में भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। जहां इस तरह का प्रस्ताव नहीं दिया गया था, इस अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि ओ. एन. जी. सी. पूरे बकाया की वसूली करने की हकदार है। तीसरी श्रेणी ऐसे मामलों की है जहाँ संबंधित कंपनियां बीमार हो गई हैं और एस.आई.सी.ए. के तहत बी.आई.एफ.आर. के समक्ष कार्यवाही लंबित थी। इसके बाद, यह निर्देश दिया गया कि ये आई.ए. लंबित रहेंगे और मूलधन राशि का भुगतान करने के बाद ब्याज का भुगतान के लिये संबंधित निर्देशों के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाएंगे। लेकिन कुछ मामलों में इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि मूल राशि का भुगतान इस अदालत के आदेश के अनुसार किया गया है।

इसके बाद, आई.ए. नंबर 190-200 में ओएनजीसी द्वारा प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 4/5/1990 के आदेश के अनुसार शेष मूल राशि पर ब्याज का दावा करते हुये प्रस्तुत किये गये थे इस न्यायालय ने मामले की जांच करने के बाद निम्नानुसार निर्णय दिया:

".....ओएनजीसी अंतरिम आदेशों के आधार पर पहले के अनुबंधों की शर्तों का पालन करने और उसके तहत प्रदान किये गये तरीक से गैस की आपूर्ति करने के लिए बाध्य थी। अनुबंध का यह हिस्सा ओएनजीसी द्वारा निष्पादित किया गया था जो इस प्रकार उद्योगों से वह कीमत वसूलने की हकदार हो गई जो मूल रूप से उनके द्वारा ली गई थी। राशि के विलंबित भुगतान के लिए, अनुबंध के खंड 5 में दर और उसमें निर्दिष्ट तरीके से ब्याज का भुगतान करने पर विचार किया गया।"

हालांकि, उसने यह स्पष्ट किया गया था कि साराभाई कॉमन सर्विसेज एंड एलेम्बिक केमिकल्स लिमिटेड (जिसे अब 'एलेम्बिक लिमिटेड' के नाम से जाना जाता है) के मामलों को अलग से निपटाया जाएगा और अब ये आवेदन विचार के लिये सामने आए हैं।

ओएनजीसी द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में ओ. एन. जी. सी. और आवेदकों के बीच एक गंभीर विवाद है। यह तर्क दिया गया है कि ओएनजीसी ने मूल राशि के बकाया की गणना करते समय इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत उच्च मूल्य के लिए आवेदन किया है और इसलिए मूल राशि के बकाया राशि को आदेश के अनुसार सही दर/मूल्य लागू करके पुनर्गणना की थी; कि अल्प-उठाव के कारण दावा किए गए बकाया की गणना ओएनजीसी द्वारा वास्तविक आपूर्ति की दरों का उपयोग करके की गई

है जिसमें शामिल हैं - कम उठायी गई मात्राओं पर बिक्री कर और रॉयल्टी का तत्व; कि खरीदे जाने के लिए सहमत गैस की न्यूनतम मात्रा से कम गैस उठाने के लिए देय धन न तो वितरित किया जाता है और न ही आपूर्ति की जाती है और इसलिए इसे बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता है और ऐसे मामले में न तो रॉयल्टी और न ही कर लगाया जा सकता है और इसलिए, वे तर्क देते हैं कि बकाया के विवरण जिसमें रॉयल्टी और बिक्री कर का तत्व शामिल था, उसे अलग करके फिर से पुनर्गणना करनी होगी; कि उन्होंने अनुबंध की गई मात्रा को 60000 घन मीटर प्रति दिन से घटाकर 50,000 घन मीटर प्रति दिन करने के लिए दिनांक 24.6.1985 के पत्र द्वारा अनुरोध किया था; कि चूंकि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, अनुबंधित मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सका। इसलिए, उनका दावा है कि इस पहलू पर अब विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ओ. एन. जी. सी. द्वारा मामलों का निपटारा कर दिया गया है और उसके बाद मांगों की पुनः गणना की जानी है। इसके अलावा, यह भी तर्क दिया जाता है कि अनुबंध में श्रमिकों द्वारा अप्रत्याशित घटना और हड़ताल का प्रावधान है और भट्टी ढहने का प्रावधान इस खंड के अंतर्गत आता है और ओएनजीसी को हड़ताल और बीमा ढहने की अवधि के दौरान वास्तविक उपयोग की मात्रा पर बिल देना आवश्यक है। पुनः इस दलील पर कि मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, ओएनजीसी द्वारा इस पहलू की जांच नहीं की गई थी। इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक राहत का हकदार है।

मैसर्स साराभाई कॉमन द्वारा भी इसी तरह का आवेदन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देय राशि पर उनके द्वारा देय ब्याज पर ध्यान देना होगा और मैसर्स साराभाई कॉमन सर्विसेज और एलेम्बिक लिमिटेड दोनों द्वारा भी अभ्यावेदन किए गए हैं। हालाँकि, किसी भी मामले में ओएनजीसी ने उनके द्वारा की गई मांगों पर प्रभावी ढंग से विचार नहीं किया है और उसके बाद अदालत के आदेशों या उससे उत्पन्न होने

वाले आगे के दावों के अनुसार उनके द्वारा भुगतान किए गए धन के लिए उचित समायोजन किए बिना उनसे बकाया राशि का निर्धारण किया है। इन दोनों कंपनियों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों को उठाए गए बिंदुओं पर उचित विचार किए बिना सामान्य नौकरशाही शैली में निपटाया गया है। हम पाते हैं कि ब्याज के भुगतान और अन्य पहलुओं के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर्याप्त प्रकृति के हैं और उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है जैसा कि अब किया गया है, लेकिन ओएनजीसी द्वारा उचित रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

जहाँ तक ब्याज का संबंध है, हालाँकि इस न्यायालय ने दिनांक 26/7/2001 को दिये गये आदेश में कहा था कि ब्याज अनुबंध के खंड 5 के संदर्भ में देय है क्योंकि अनुबंध तब तक लागू रहा जब तक कि इस न्यायालय द्वारा मामलों का अंत में निपटारा नहीं कर दिया जाता, लेकिन यह इस मामले में उत्पन्न होने वाली सामान्य परिस्थितियों में था। हम देख सकते हैं कि ये दो मामले जहां साराभाई कॉमन सर्विसेज और एलेम्बिक केमिकल्स लिमिटेड [जिन्हें अब 'एलेम्बिक लिमिटेड' के रूप में जाना जाता है। दवा विनिर्माण कंपनियाँ हैं और जिन कीमतों पर वे अपना माल बेचते हैं, वे दवा मूल्य नियंत्रण आदेश द्वारा तय किए जाते हैं, जिसमें इस बात को ध्यान में रखा गया था कि जिस मूल्य पर गैस की आपूर्ति की गई थी, जो अब इस न्यायालय के आदेशों के कारण बढ़ गई है।

इसलिए, परिस्थितियों की समग्रता में, हम सोचते हैं, इन दोनों कंपनियों द्वारा अनुबंध के खंड 5 में निर्धारित दर पर ब्याज देय होगा, लेकिन चक्रवृद्धि योग्य नहीं बल्कि ब्याज की सरल दर पर। उस हद तक, हम साराभाई कॉमन सर्विसेज द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार करते हैं और ओएनजीसी को उनके द्वारा की गई मांगों में अपने दावे को कम करने का निर्देश देते हैं। मेसर्स एलेम्बिक लिमिटेड के मामले में,

ओएनजीसी उनके द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं की जांच करेगा: (i) अल्प-उठाव के लिए नुकसान पर रॉयल्टी और बिक्री कर का अपवर्जन; (ii) आपूर्ति को 60,000 घन मीटर प्रति दिन से घटाकर 50,000 घन मीटर प्रति दिन करने की मांग करने वाले उनके पत्र का प्रभाव; और (iii) अप्रत्याशित घटना खंड के आधार पर किया गया दावा और उसके बाद ब्याज के साथ उनके द्वारा देय बकाया राशि का पुनर्निर्धारण करना।

तदनुसार आवेदनों का निस्तारण उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में किया जाता है।

अंतरिम प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया गया।

आर.पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।